UPSP010073102026

न्यायालय अपर जिला सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, सहारनपुर।

पीठासीन अधिकारी– श्री श्रेय शुक्ला, उच्चतर न्यायिक सेवा।

J.O. Code– UP3845

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 3116/2026

मोनिश पुत्र मुन्तजीर, निवासी कैलाशपुर, थाना गागलहेड़ी, जिला सहारनपुर।

..... **प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ..... **विपक्षी।**

मु०अ०सं०– 111/2026
धारा– 115(2), 352, 117(2), 64(1), 62
भारतीय न्याय संहिता एवं
थाना– गागलहेड़ी, जिला–सहारनपुर।

22.07.2026

आवेदक/अभियुक्त **मोनिश** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या– 111/2026 धारा– 115(2), 352, 117(2), 64(1), 62 भारतीय न्याय संहिता, थाना गागलहेड़ी, जिला सहारनपुर के मामले में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.07.2026 से न्यायिक अभिरक्षा के अन्तर्गत कारागार में निरूद्ध है।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ **दानिश पुत्र मुन्तजीर** का शपथपत्र दाखिल किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अतिरिक्त कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी सावेज की बहन का निकाह दिनांक 25.04.2025 को दानिश पुत्र मुंतजीर कैलाशपुर के निवासी के यहां मुस्लिम रीतिरिवाज के साथ हुआ था। निकाह के बाद ही वादी की बहन का देवर मोनिश पुत्र मुंतजीर वादी की बहन पर बुरी नजर रखने लगा और अक्सर इज्जत उतारने की फिराक में रहता था। वादी का बहनोई दानिश सेलाकुई देहरादून में काम करता है और वह काम पर गया हुआ था और मोनिश वादी की बहन से रंजिश भी रखता था। दिनांक 03.04.2026 लगभग 01.30 बजे मोनिश ने बदनीयती के इरादे से वादी की बहन के कमरे में घुस गया और बलात्कार करने की नियत से वादी की बहन के कपड़े फाड़ दिए और सलवार का नाड़ा तोड़ दिया। वादी की बहन ने शोर मचाया और बमुश्किल अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की शोर सुनकर पीड़िता की सासु मां परवीन व उसकी नन्द यास्मीन व चचिया ससुर नदीम मौके पर आ गये और उन्होंने मोनिश को डाटने की बजाये वादी की बहन के साथ गाली–गलौच और लाठी डंडो से मारपीट करने लगे जबकि वादी की बहन लगभग 8 माह के गर्भ से है। वादी की बहन की नन्द यास्मीन ने वादी की बहन के पेट में लात मारी जिससे वह गंभीर अवस्था में है। वादी की बहन ने फोन के द्वारा वादी को सूचना दी और सारी घटना के बारे में वादी को बताया। अतः कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से बहस की गयी है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त मामले में रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी ने कोई ऐसा अपराध नहीं किया है जो उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत आता हो। उपरोक्त एफ.आई.आर. में वादी द्वारा एफ.आई.आर. की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं बताया गया है। प्रार्थी बी. फार्मा करके एस.बी.डी. अस्पताल सहारनपुर में अप्रेंटिस कर रहा है। एफ.आई.आर. के मुताबिक कोई अपराध 64(1) बी.एन.एस. का नहीं बनता है विवेचक द्वारा दिये गये बयान 180 बी.एन.एस.एस. के अनुसार भी 64(1) बी.एन.एस. का अपराध नहीं बनता है। पीड़िता घटना के समय 8 माह की गर्भवती थी जिस कारण रेप करने का कोई औचित्य ही नहीं

बनता। प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 115(2), 352, 74 बी.एन.एस. में मुकदमा दर्ज हुआ था बाद में 64(1) बी.एन.एस.एस. की वृद्धि की गयी है। सच्चाई यह है कि वाद उपरोक्त की पीड़िता शुरू से ही घर में सास, ननद, के साथ बदतमीजी, दुर्व्यवहार व लड़ाई झगड़ा करती थी। इसी लड़ाई–झगड़े को रंगत देने के लिए यह झूठा मुकदमा प्रार्थी के विरूद्ध दर्ज कराया गया है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना गया तथा केस डायरी एवं समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

थाने से प्राप्त आख्या एवं केस डायरी का अवलोकन किया। आवेदक/अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा/पीड़िता के कमरे में घुसकर बलात्कार करने की नीयत से पीड़िता के कपड़े फाड़ दिये और सलवार का नाडा तोड़ दिया तथा पीड़िता के साथ गली–गलौच करते हुए लाठी–डंडो से मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाये जाने का आक्षेप है। आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक/अभियुक्त घर का सदस्य तथा पीड़िता का देवर है। प्रस्तुत प्रकरण में बयान अंतर्गत धारा **180** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं बयान अंतर्गत धारा **183** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता थाने पर दी गयी तहरीर का समर्थन करते हैं। प्रस्तुत प्रकरण की घटना के समय पीड़िता 8 माह की गर्भवती थी। आवेदक/अभियुक्त का यह कथन कि घटना के समय पीड़िता 8 माह की गर्थवती थी जिस कारण रेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता बलहीन प्रतीत होता है। पीड़िता की चिकित्सीय परीक्षण आख्या एवं एक्स–रे रिपोर्ट केस डायरी पर उपलब्ध है। जमानत पर रिहा किए जाने की स्थिति में साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। कथित अपराध महिला के विरूद्ध एवं गम्भीर प्रकृति का है। मामले के गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना केस डायरी में संकलित साक्ष्य से आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्ट्या परिलक्षित है।

अतः प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों, पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण दोष पर कोई मत व्यक्त किये बगैर, आवेदिक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदिक/अभियुक्त **मोनिश** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

इस आदेश की एक प्रति, संबंधित थानाध्यक्ष एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर को अविलम्ब प्रेषित की जाये।

दिनांक 22.07.2026

(श्रेय शुक्ला)
अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय–प्रथम,
सहारनपुर।
(J.O. Code.–UP3845)

Digitally signed by Shrey Shukla
Date: 2026.07.25 16:38:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court